न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0पत्र सं0 04/2022 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी लालसोट जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री मदन मोहन शर्मा पुत्र श्री ताराचंद शर्मा निवासी बौंली बाजार, लालसोट रडबा इलेक्ट्रिकल्स, बस स्टैण्ड के पास, लाल बहादुर पुलिया, लालसोट

..अप्रार्थी

उपस्थित: 1. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

जब्तशुदा 03 घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 20.9 किलोग्राम व अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

निर्णय दिनांक: 27.02.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 इस प्रकार है कि प्रर्वतन अधिकारी लालसोट के द्वारा 8.12.2022 को मदन मोहन शर्मा पुत्र ताराचंद शर्मा द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते हुए पाया गया। मौके पर पाये गये कुल 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 20.9 किलोग्राम एल0पी0जी0 को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम—1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख प्राप्त किया गया।
3. विभागीय पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र 6 ए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घरेलू गैस के अवैध भंडारण व रिफलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 8.12.2022 को लालसोट बस स्टैण्ड के पास आजाद चौक वाली गली में स्थित राजेश इलेक्ट्रिकल्स पर पहुॅच कर तलाशी लेकर जांच की गई। मौके पर उपस्थित श्री मदन मोहन शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर उपस्थित श्री मदन मोहन शर्मा व स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जांच व तलाशी का कार्य किया गया। मौके पर दुकान में घरेलू एल.पी.जी. गैस के 03 सिलेण्डर रखे हुए मिले। दुकान में गैस रिफलिंग व गैस ट्रांस्फर में प्रयुक्त पीतल की बांसुरी भी पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा दुकान में अवैध रूप से घरेलू एल.पी.जी. गैस का भंडारण, रिफलिंग, अन्तरण व विक्रय का कार्य किया जाता है। मौके पर ही जय भवानी गैस ऐजेन्सी लालसोट के प्रबंधक श्री मनमोहन शर्मा व डिलीवरी मैन श्री राधेबिहारी शर्मा को बुला कर हैंगिग मशीन से तोलने की कार्यवाही की गई। जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

कसं	सिलेण्डर श्रेणी	नाम गैस कंपनी	सीरियल नंबर	खाली सिलेएडर का वजन (किलोग्राम)	कुल वजन (किलोग्राम)	शुद्ध गैस का वजन
1	घरेलू	एचपीसीएल	233450 ई	15.7	15.7	0
2	घरेलू	एचपीसीएल	[illegible]	[illegible]	29.5	14.0
3	घरेलू	एचपीसीएल	16973—	[illegible]	22.6	6.9
		कुल योग				20.9

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:35 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्त 03 घरेलू सिलेण्डरों में भंडारित 20.9 किलोग्राम एल.पी.जी. गैस, पीतल की बांसुरीं को कब्जा राज लिया गया। उक्त जब्त गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी.व अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से जय भवानी गैस ऐजेन्सी लालसोट के प्रबंधक श्री मनमोहन शर्मा को सुपुर्दगी में दिये गये। श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा गैस भंडारण के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौके पर घनी आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग व

जिला कलेक्टर, दौसा

विक्रय का कारोबार किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितता करके श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 209 किलोग्राम तथा पीतल की बांसुरी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन अधिकारी लालसोट द्वारा उक्त कार्यवाही सरासर गलत व अनुचित रूप से की गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध नहीं किया है। अप्रार्थी की रडबा इलैक्ट्रिकल्स की बौंली बाजार लालसोट में स्थित है। अप्रार्थी का जब्तशुदा वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई गैस रिफलिंग का कार्य नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने विभागीय पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दिनांक 8.12.2022 को प्रवर्तन अधिकारी लालसोट ने घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण/क्रय/विक्रय/रिफलिंग की जांच हेतु लालसोट में मदन मोहन शर्मा की दुकान की जांच की गई। मदन मोहन शर्मा की दुकान में मौके पर घरेलू एल.पी.जी. गैस के 03 सिलेण्डर रखे हुए मिले साथ ही गैस रिफलिंग में प्रयुक्त होने वाली पीतल की बांसुरी भी पाई गई। श्री मदन मोहन शर्मा के पास सिलेण्डरों के भंडारण बाबत किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र नहीं था। श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर्स से गैस अन्तरण कर अवैध कारोबार करना प्रमाणित होता है। एलपीजी गैस सिलेण्डरों से रिफलिंग/अन्तरण का यह कार्य सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि एलपीजी गैस अत्यन्त ज्वलनशील व विस्फोटक पदार्थ है। इस प्रकार श्री मदन मोहन शर्मा द्वारा एल0पी0जी0 आदेश 2000 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी मदन मोहन शर्मा ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मौके पर गैस रिफलिंग/अन्तरण हेतु प्रयुक्त किया जाने वाले उपकरण पीतल की बांसुरी भी पायी गई है। लालसोट शहर में घनी आबादी क्षेत्र पर दुकान का निरीक्षण करने पर एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। हाल ही में भांकरोटा की गैस त्रासदी जैसी दुखद घटना भी हुई है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order**, 2000 के खंड 3, 4, 5, 6, 7 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। हम प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित जब्त शुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी 20.9 किलोग्राम तथा पीतल की बांसुरी को राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:56:35 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांकः 27 फरवरी 2025 को [illegible] जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस [illegible] की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official